

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 544 व 545 / 2009 / जयपुर

सहायक आयुक्त,
विशेष वृत्त—राजस्थान, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स टाटा इंजनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि.,
नया नामः—मैसर्स टाटा मोटर्स, प्रेस्टिज टॉवर,
आम्रपाली सर्किल के पास, वैशाली नगर,
जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

कॉस आजेक्शन्स संख्या—741 / 2009 / जयपुर

मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि.,
नया नामः—मैसर्स टाटा मोटर्स, प्रेस्टिज टॉवर,
आम्रपाली सर्किल के पास, वैशाली नगर,
जयपुर।

.....प्रत्यर्थी प्रत्याक्षेपकर्ता की ओर से

बनाम्

सहायक आयुक्त,
विशेष वृत्त—राजस्थान, जयपुर।

.....अपीलार्थी प्रत्याक्षेपकर्ता की ओर से

से

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री रामकंरण सिंह,
उप—राजकीय अभिभाषक।

.....राजस्व की ओर से

श्री विवेक सिंघल,
अभिभाषक।

.....व्यवहारी की ओर से.

निर्णय दिनांक:—30.04.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त—राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे “निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स—द्वितीय), जयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक—पृथक् आदेश दिनांक 23.10.2008 के विरुद्ध पेश की गयी है जो क्रमशः अपील संख्या 06 व 274 / अपील्स-II / आरएसटी / जपुर वि.वृ.राज. / 2007-08 के संबंध में हैं तथा जिनमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 29 के तहत निर्धारण वर्ष क्रमशः 2004-05 व 2005-06 के लिये क्रमशः आरोपित अंतर कर रु. 3,31,51,464/- व रु. 3,02,94,849/- व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशि रु. 99,45,439/- व रु. 75,73,712/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने को, राजस्व द्वारा विवादित किया गया है। इसी क्रम में व्यवहारी द्वारा भी “कॉस आजेक्शन्स” निर्धारण वर्ष 2004-05 के संबंध में प्रस्तुत किये गये

लगातार.....2

हैं जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अण्डर प्रोटेस्ट जमा करवाया गया पण्यावर्त कर की राशि रु.3,78,750/- वापसी योग्य नहीं होने संबंधी पारित अपीलीय आदेश व इस संबंध में आरोपित ब्याज रु. 8286/- की पुष्टि करने संबंधी पारित आदेश दिनांक 23.10.2008 को विवादित किया गया है।

2. चूंकि प्रस्तुत अपीलों में विवादित बिन्दु सादृश्य है। अतः इनका निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पर पृथक से रखी जा रही है।

3- प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(10) एफडी/टैक्स डिवी /02/पार्ट-166 दिनांक 04.02.2003 के तहत 2 प्रतिशत की कर दर से मोटर वाहनों/चेचिस का विक्रय रु33,15,14,635/- घोषणा प्रैरूप एस.टी. 17 के समर्थन में मैसर्स आई.आई.ई.एल नीमराना (अलवर) को किया गया। निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा बिकीत उत्पाद राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(10)एफडी /टैक्स डिवी/ 02-पार्ट-166 दिनांक 04.02.2003 से आच्छादित नहीं होना अवधारित कर, व्यवहारी द्वारा बिकीत उत्पाद पर 10 प्रतिशत की कर दर से अंतर कर राशि क्रमशः रु. 3,31,51,464/- व रु.3,02,94,849/- व उक्त कर राशि अदत्त रहने के कारण अनुवर्ती ब्याज की मांग राशि रु. 99,45,439/- व रु. 75,73,712/- वसूली योग्य होना निर्धारित की गयी।

4. इसी कम में कॉस आब्जेक्शन के तथ्य इस प्रकार हैं कि निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-05 के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि व्यवहारी द्वारा टर्नओवर टैक्स मुक्ति शुल्क का लाभ लेने के लिये आवेदन पत्र दिनांक 16.04.2004 को प्रस्तुत किया गया था। चूंकि व्यवहारी का आलोच्य अवधि का कुल पण्यावर्त 9 अरब 34 करोड़ 58 लाख 73 हजार 868 होने कारण जारी अधिसूचना दिनांक 28.06.2003 के स्लैब संख्या—15 के आधार पर कुल मुक्ति शुल्क रु. 13,50,000/- जमा करवाये जाने हेतु दायित्वधीन था परन्तु व्यवहारी द्वारा कुल रु. 3,78,750/- ही जमा करवाये गये हैं। अतः निर्धारण अधिकारी ने अनुवर्ती ब्याज की राशि रु.8,286/- वसूली योग्य होना कायम कर, निर्धारण आदेश पारित किया। उक्त पारित आदेशों के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलों प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अंतर कर

व अनुवर्ती ब्याज के बिन्दुओं पर व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार कर, पण्यावर्त कर के बिन्दु पर अपील जो निर्धारण वर्ष 2004–05 के संबंध में प्रस्तुत की गयी थी, को अस्वीकार कर दिया गया। अतः अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज के बिन्दु पर विभाग द्वारा अपील संख्या 544 व 545/209/जयपुर प्रस्तुत की गयी है जबकि पण्यावर्त कर के बिन्दु पर व्यवहारी द्वारा कॉस आब्जेक्शन प्रस्तुत किया गया है।

5. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

6. निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर पारित अपीलीय आदेशों को अविधिक होना प्रकट कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा दोनों अपील प्रकरणों में निर्धारित अंतर कर व ब्याज की मांग राशियों को विधिसम्मत होना अवधारित कर, विभाग द्वारा उक्त बिन्दु पर प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

7. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर अंतर कर व ब्याज की मांग राशियों के संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, तर्क दिया कि व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(10)एफडी/टैक्स डिवी/02-पार्ट-166 दिनांक 04.02.2003 के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के तहत 2 प्रतिशत की कर दर से मोटर वाहनों/चेचिस का विक्रय रु33,15,14,635/- घोषणा प्ररूप एस.टी. 17 के समर्थन में मैसर्स आई.आई.ई.एल नीमराना (अलवर) को किया गया। जिराके पश्चात् क्रेता व्यवहारी द्वारा उक्त विक्रय संव्यवहार के समर्थन में घोषणा प्ररूप एस.टी. 17 क्रमांक 776818 जारी करने पर व्यवहारी द्वारा उक्त को वक्त निर्धारण निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। अतः व्यवहारी केवल 2 प्रतिशत की कर दर से कर चुकाये जाने हेतु दायित्वधौन था।

8. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने विशिष्ट रूप से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन क्रमांक 286/2005/4,5,16 व 29/2007 स.वा.क.अ., विशेष वृत्त-जयपुर व अन्य बनाम मैसर्स मैट्रो एप्लॉयन्सेस लि., जयपुर को प्रोद्धारेत कर कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णय में यह अनिर्धारित किया है कि विक्रेता व्यवहारी का यह दायित्व नहीं है कि वह माल बेचने से पहले क्रेता व्यवहारी द्वारा जारी घोषणा प्ररूप एस.टी. 17 में क्रय का

उद्देश्य घोषित किया गया है, उसके बारे में यह जांच करे कि क्रेता उक्त वस्तु/माल को जो उस घोषित उद्देश्य से भिन्न प्रयोग तो नहीं कर रहा है ? विशिष्ट रूप से माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि विक्रेता का दायित्व नहीं है कि वह इस बात की जांच करे कि वास्तव में क्रेता द्वारा माल का घोषित उपयोग ही किया जा रहा है कि नहीं ? अतः प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, यह कथन किया कि क्रेता व्यवहारी द्वारा जारी घोषणा प्ररूप एस.टी. 17 के विरुद्ध किये गये विक्रय के संबंध में विक्रेता व्यवहारी रियायती कर दर से विक्रय करने के लिए अधिकृत प्रतिगिधि है। अतः न्यायिक दृष्टांत के आलोक में व्यवहारी राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04.02.2003 के प्रावधानानुसार दो प्रातिशत की दर से कर चुकाने हेतु दायित्वधीन है क्योंकि व्यवहारी द्वारा अधिसूचना के आलोक में, घोषणा प्रपत्र एस.टी. 17 प्राप्त कर, निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।

9. पुनः विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(10)एफडी/टैक्स/02-पार्ट-166 दिनांक 04.02.2003 के शर्तानुसार मैसर्स इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इकिवपमैंट लि. को विक्रय किया गया एवम् उक्त क्रय उत्पाद पर क्रेता व्यवहारी के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी अधिनियम की धारा 28 के तहत निर्धारण वर्ष 2004–05 के लिये जरिये आदेश दिनांक 30.09.2005 करारोपण कर दिया गया है। अतः अपने उक्त तर्कों, तथ्यात्मक स्थिति व प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, दोनों अपील प्रकरणों में आरोपित अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों के संबंध में पारित अपीलीय आदेशों की पुष्टि कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

10. व्यवहारी की ओर से कॉस आज्जेक्षन क्रमांक 741/2009/जयपुर के संबंध में विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जरिये अधिसूचना क्रमांक 2004–25 दिनांक 12.07.2004 के पण्डीवर्त के संबंध में जारी अधिसूचना को निरसित कर दिया गया है। गुणावगुण पर कथन किया कि निर्धारण वर्ष 204–05 के लिये व्यवहार द्वारा प्रश्मन योजना का लाभ स्वीकार कर, विकल्प दिनांक 16.04.2004 को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। परन्तु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.07.2004 वापस लिये जाने के कारण व्यवहारी द्वारा जमा करवायी गयी राशि रु. 3,78,750/- का प्रतिताय चाहा गया। परन्तु निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त को अस्वीकार कर, अनुपर्ती

ब्याज राशि रु. 8286/- आरोपित की गयी जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अपने कथन के समर्थन में कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 743/2008/चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 17.03.2011 को प्रोद्धरित कर, व्यवहारी द्वारा अण्डर प्रोटेस्ट जमा करवायी गया राशि का प्रतिदाय प्रदान करने हेतु निवेदन कर, इस संबंध में आरोपित ब्याज की मांग राशि रु. 8,286/- को अपास्त करने की प्रार्थना की गयी। अतः ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी को अपास्त कर, आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी विभाग की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

11. व्यवहारी द्वारा कॉस आज्जेक्शन के संबंध में विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन कर कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत एवम् उचित है क्योंकि विधायिका का आशय वार्षिक विकाय पण्यावर्त के आधार पर घोषित पण्यावर्त पर पण्यावर्त कर के स्थान पर मुक्ति शुल्क भुगतान का था, जैसाकि आलोच्य अवधि में दिनांक 01.04.04 को ही इसे भुगतान करने का दायित्व उत्पन्न हो गया था, अतः इस संबंध में, विद्वान अपीलीय अधिकारी का आदेश तथ्यों एवम् विधि के अनुसार होने के कारण उचित एवम् विधिसम्मत है। अतः उक्त बिन्दु पर अपीलीय आदेश की पुष्टि कर, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत कॉस आज्जेक्शन को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

12. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया व इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(10)एफ.डी./टैक्स डिवी/02-पार्ट-166 दिनांक 04.02.2003 का अध्ययन किया गया जो निम्न प्रकार है:—

In exercise of the powers conferred by S.15, RST Act, 1994 the State Govt. [.] hereby exempts Indian Infrastructure Equipment Ltd., (hereinafter referred to as the company) from payment of RST including surcharge, in the manner, to the extent, for the period and subject to the conditions specified hereunder :—

- That the company shall make a minimum fixed capital investment of Rs. 150.00 crores within a period of nine months, starting from the date on which requisite land is placed in the possession of it by RIICO;

2. That the company shall be entitled to claim exemption from RST on lease/rental of equipments acquired by it to the extent the rate of tax exceeds 1% for the first six years and to the extent the rate of tax exceeds 2% for the next six years;
3. That the company shall be entitled to claim exemption from tax on the purchase of equipments by it to the extent the rate of RST exceeds 2% for a period of six years;
4. That the company shall, in case of lease or purchase as referred to in conditions No. 2 and 3 shall furnish a declaration to this effect in Form ST 17 appended to the RST Rules, 1995, to the selling dealer;
5. That the company shall ensure that all the lease contracts are executed within the State or Rajasthan and further, the lease rent is paid or deposited within the State or Rajasthan;
6. That the company as far as possible shall purchase its equipments from the dealers within the State of Rajasthan or from the dealers, who will supply equipments through branch transfers to the State of Rajasthan; and
7. That the company shall be subjected to all the provisions of the RST Act, 1994 and the rules made thereunder.

13. हस्तगत प्रकरणों में यह निर्विवाद तथ्य है कि व्यवहारी द्वारा 2 प्रतिशत की कर दर से ₹.33,15,14,635/- के माटर वाहनों/चेचिस का विक्रय घोषणा प्ररूप एस.टी. 17 के समर्थन में मैसर्स आई.आई.ई.एल. नीमराना (अलवर) को की गयी है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी उपर्युक्त अधिसूचना की शर्त संख्या 3 एवं 4 विशेष रूप से विचारणीय है, जिससे यह स्पष्ट है कि यदि क्रेता व्यवहारी द्वारा विक्रेता व्यवहारी को घोषणा प्रपत्र एस.टी 17 अधिसूचना के अनुक्रम में क्रय-विक्रय संव्यवहारों की पुष्टि में जारी किया जाता है तो विक्रेता व्यवहारी का कर दायित्व मात्र 2 प्रतिशत तक ही सीमित रह जाता है। अधिसूचना के अधीन विक्रेता व्यवहारी का यह दायित्व नहीं है कि वह क्रेता व्यवहारी से अधिसूचना की अन्य समस्त शर्तों की पालना भी सुनिश्चित करें या इस संबंध में जांच करे कि क्यशुदा उत्पाद का अधिसूचना में अंकित कार्यों/संव्यवहारों के अन्यथा उपयोग व्यवहारी द्वारा तो नहीं किया

लगातार.....7

गया है। इस संबंध में यदि क्रेता व्यवहारी द्वारा शर्तों की पालना नहीं की जाती है तो उसे अधिसूचना के अधीन देय लाभ से बंचित कर, एवं घोषणा प्रपत्र के दुरुपयोग किये जाने की स्थिति में, अधिनियम के अधीन शारित आरोपण आदि की कार्यवाही की जा सकती है लेकिन इस क्रम में विक्रेता व्यवहारी के विरुद्ध करारोपण किया जाना पूर्णतया अविधिक है। यह भी उल्लेखनीय है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना इस संबंध में कोई जांच किये कि जारी घोषणा प्रपत्र का अधिसूचना में अंकित संव्यवहारों के अतिरिक्त प्रयोग किया जा रहा है, क्रेता व्यवहारी पर करारोपण किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। निर्धारण अधिकारी को इस संबंध में नियमानुसार जांच कर, उक्त को प्रमाणित किया जाना चाहिये था, जिसके अभाव में आरोपित अंतर कर व ब्याज की मांग राशियां विधिसम्मत एवम् उचित नहीं हैं। समान बिन्दुओं पर माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा एस.बी.एस.टी. रिवीजन पिटीशन संख्या 286/2005 सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर स्पेशल सर्कल—। जयपु बनाम मैट्रौ एफ्लायसेंस लि. जयपुर के प्रकरण में दिए गये निर्णय दिनांक 04.10.2007 में निम्न प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:—

“Whether the selling dealer who relied upon the declaration forms furnished to him by another registered dealer, namely, the purchasing dealer, should be proceeded against for recovery of additional or remaining tax at the full rate of tax ignoring the concessional rate of tax based on such declaration forms or is it the purchasing dealer who furnished such declaration forms should be proceeded against for recovery of such additional or balance amount of tax. While dismissing the revision petition, the Court held that it is clear that in the present case, the respondent assessee the sealing dealer could not be saddled with the liability to pay the difference tax, interest theron or penalty under section 65 of the Act for the alleged misuse of declaration in form No. ST 17 furnished to him by the purchasing dealer.”

14. माननीय न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया है कि “.....No enquiry of this nature appears to have been made by the

लगातार.....8

assessing authority as the impunged assessment order does not narrate any such enquiry into these facts. Therefore, without holding this basic enquiry if the additional tax was imposed on the selling dealer, it is all the more unfortunate besides being illegal and unauthorized.” अतः प्रकरणों की तथ्यात्मक स्थिति, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04.02.2003 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, निर्धारण अधिकारी द्वारा दोनों प्रकरणों 2004–05 व 2005–06 में आरोपित अंतर कर कमशः रु.3,31,51,464/- व रु. 3,02,94,849/- व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशि रु. 99,45,439/- व रु. 75,73,712/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से अपास्त किया गया है। फलस्वरूप, उक्त बिन्दुओं पर पारित अपीलीय आदेशों की पुष्टि की जाकर, विभाग द्वारा उक्त बिन्दुओं पर प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

15. जहां तक व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत कॉस आब्जेक्शन का प्रश्न है, रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं का अध्ययन किया गया। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जरिये अधिसूचना कमांक एफ.4(67) टैक्स/2004–25 दिनांक 12.07.04 के पण्यावर्त कर के संबंध में पूर्व में जारी की गयी अधिसूचनाओं का निरान किया गया है। उक्त अधिसूचना इस प्रकार है:-

S.O.65-In exercise of the powers conferred by section 13 A read with section 15 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994(Rajasthan Act No. 22 of 1995), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby rescinds this Department's following notifications(as amended from time to time,)namely.-

- 1- No. F.4(12)FD/Tax Div./2001-37 dated 01-05-2003.
 - 2- No. F.4(12)FD/Tax Div./2001-38 dated 01-05-2003 and
 - 3- No. F.4(4)FD/Tax Div./99-pt-59 dated 28-06-2003.
16. ऊपर वर्णित अधिसूचना के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अधिसूचना के जरिये अधिनियम की धारा 13क सपठित धारा 15 के अन्तर्गत

लगातार 9

आरोपणीय पण्यावर्त कर एवम् मुक्ति शुल्क, जिसके लिये ऊपर वर्णित अधिसूचनायें जारी की गयी थीं, को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.07.2004 की अधिसूचना के जरिये निरसित कर दिया गया है तथा उक्त अधिसूचना दिनांक 12.07.04 को बिना किसी “सेविंग क्लॉज़” के प्रचलित किया गया है। अतः अब हमारे समक्ष यह प्रश्न यह है कि उक्त अधिसूचना में “सेविंग क्लॉज़” के अभाव में, किस प्रकार से निर्वचित किया जाये? इस विधिक बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा मै0 मूल मार्बल्स लि. बनाम् राजस्थान राज्य 130 एस.टी.सी 160 प्रकरण में विचार कर, माननीय न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार अवधारित कर सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

“.....No action under a provision can be taken after the provision has been deleted unless the said provision has been saved by a specific provision to that effect. The apex Court in Kolhapur Canesugar Works Ltd. Vs Union of India reported in JT 2000(1) SC 453 held that where there is no saving, then proceedings initiated under the old rule becomes non est. The decision of apex Court is based on a decision in Rayala Corporation (P) Ltd. Vs Director of Enforcement, New Delhi reported in AIR 1970 SC 494. The general rule is after the temporary provision has expired, no proceedings can be taken upon it and it ceases to have any further effect unless saved by an express provision, i.e., the saving clause. The action taken during the life of the said provision has been saved.....”

समान विवादित बिन्दु पर जहां निरसन की तिथि का विशिष्ट उल्लेख अधिसूचना में यदि नहीं है, तो इसे किस तिथि से प्रभावी माना जाये, के बिन्दु पर समस्त विधिक स्थिति पर विचार कर, माननीय कर बोर्ड, की समन्वयपीठ (एकलपीठ), द्वारा अपील संख्या 2433, 2434, 2435/2007/नागौर व कर बोर्ड की समन्वयपीठ (एकलपीठ) के निर्णय दिनांक 27.07.2009 व अपील संख्या 2140 व 2141/2006/जोधपुर के प्रकरणों में निर्णय दिनांक 04.03.2009 23 टैक्स अपडेट 304 में, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत

103 एस.टी.सी 532 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, यह अभिनिर्धारित कर दिया गया है कि पण्यावर्त कर का दायित्व विभागीय स्पष्टीकरण दिनांक 12.10.2004 के आधार पर नहीं है। अतः “सेविंग क्लॉज” के अभाव में अधिसूचना दिनांक 12.07.2004 के आलोक में, पण्यावर्त कर का आरोपण निर्धारण वर्ष 2004–05 के लिये पारित निर्धारण आदेश में करना विधिक एवम् उचित नहीं है। अतः व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत कॉस आजोक्षन स्वीकार कर, अपीलीय आदेश उक्त बिन्दु पर अपास्त कर, निर्धारण अधिकारी को व्यवहारी द्वारा जमा करवायी गयी अण्डर प्रोटेस्ट पण्यावर्त कर की राशि रु.3,78,750/- को नियमानुसार लौटाया जाये। इस संबंध में निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित ब्याज रु. 8,286/- अपास्त किया जाता है।

17. परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार कर, प्रत्यर्थी प्रत्याक्षेपकर्ता की ओर से प्रस्तुत कॉस आजोक्षन्स स्वीकार किये जाते हैं।

निर्णय प्रसारित किया गया।


(मदन लाल) 4. 7. 2015
सदस्य


(सुनील शर्मा)
सदस्य